ओ0पी0 सिंह
आई0पी0एस0

डीजी-परिपत्र संख्या-25/2018

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलकमार्ग, लखनऊ।
दिनांक : लखनऊः मई 23, 2018

प्रिय महोदय/महोदया,

ऐसे दृष्टांत प्रकाश में आये हैं कि पुलिस कर्मियों द्वारा आपराधिक घटना/दुर्घटना के पश्चात मृतक का शव अर्मयादित ढंग से घटना स्थल से ले जाया गया है। यह एक ओर मानवता के सिद्धान्तों की दृष्टि से भी अति निन्दनीय है साथ ही साथ इससे पुलिस की छवि भी धूमिल होती है। विधिक दृष्टि से भी मृतक का शव सुरक्षित/मर्यादित ढंग से ही घटना स्थल से ले जाना आवश्यक है। अभी भी यदा-कदा रिक्शा, टैम्पों व ठेला आदि का प्रयोग शवों के परिवहन किये जाने की खबरें प्रकाशित होती हैं, जो उचित नहीं है, जबकि वर्तमान समय में पुलिस विभाग के पास पर्याप्त वाहन तथा शवों के परिवहन हेतु बजट भी उपलब्ध हैं।

शवों के मर्यादित ढंग से निस्तारण कराये जाने हेतु मुख्यालय स्तर से समय-समय पर विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, जो पार्श्वांकित पर अंकित है। ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यालय स्तर से निर्गत निर्देशों का जनपदों में कड़ाई से अनुपालन नही किया/कराया जा रहा है, जिसके कारण इस प्रकार के संवेदनशील विषय में पुलिस के प्रति जनमानस में प्रतिकूल भावना घर कर जाती है। आप सहमत होंगे कि मृत शरीर के प्रति सम्मानजनक व्यवहार प्रशासन एवं पुलिस की छवि सुधारने में निश्चित रूप से सहायक होगा। जिसके लिए आपके द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यरत पुलिस कर्मियों को सचेत व संवेदनशील किया जाना आवश्यक है।

डीजी परिपत्र सं0-01/2000 दिनांक 10.01.2000
डीजी परिपत्र सं0-24/2005 दिनांक 26.05.2005
डीजी परिपत्र सं0-62/2007 दिनांक 11.08.2007
डीजी परिपत्र सं0-40/2012 दिनांक 04.09.2012
डीजी परिपत्र सं0-44/2012 दिनांक 26.09.2012
डीजी परिपत्र सं0-11/2014 दिनांक 15.02.2014

शवों के मर्यादित ढंग से निस्तारण हेतु निम्नांकित बिन्दु आपके मार्गदर्शन एवं अनुपालनार्थ प्रेषित किये जा रहे हैं:-

- शवों को मर्यादित एवं सुरक्षित ढंग से सील किया जाये। शवों को पैक करने हेतु डिस्पोसबेल बॉडी बैग्स का प्रयोग किया जाय।
- शवों को घटना स्थल से उठाते एवं सील करते समय हैण्ड ग्लब्स एवं किसी भी संक्रमण से बचने के लिए मॉस्क का सावधानीपूर्वक उपयोग किया जाना आवश्यक है।
- शवों को पोस्टमार्टम अथवा अंतिम संस्कार के लिए परिवहन हेतु उनका पूर्ण सम्मान एवं मर्यादा के साथ बन्द वाहन/एम्बुलेंस में ले जाने की व्यवस्था की जाये।
- शव को ले ज़ाने हेतु रिक्शा, टैम्पो, ठेला आदि का परिवहन में कदापि प्रयोग न किया जाये एवं किसी भी दशा में खुले वाहन में परिवहन न किया जाये।

मैं अपेक्षा करता हूँ कि उपरोक्त बिन्दुओं को आप स्वयं गम्भीरता से अध्ययन कर एक सेमीनार के माध्यम से जनपद मे नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में विस्तार से अवगत करा दें तथा इस सम्बन्ध में सतर्क कर दें कि वह अपने दायित्वों के निर्वहन में किसी प्रकार की लापरवाही, उदासीनता अथवा शिथिलता न बरते। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय

(ओ0पी0 सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून/व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।